Package of Concessions to Punjab

1057. SHRI BEKAL UTSAHI:
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI VITHALRAO MADHAV RAO JADHAV:
SHRI BHUVNESH CHATURVEDI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had contemplated a new package for the solution of the Punjab Problem on the eve of the election in Punjab whereby it was proposed to transfer Chandigarh to Punjab without any transfer to territory from Fazilka and Abohar to Haryana;

(b) if so, what was Haryana's reaction thereto;

(c) whether any new initiatives are being taken towards solving the Punjab tangle following the recent elections there together with the progress made thereon; and

(d) whether Government also propose to implement Rajiv-Longowal accord?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The Government is fully committed to the implementation of the Rajiv-Longowal Accord. Efforts would continue to be made, in consultation with the newly elected Government of Punjab, to find acceptable solutions to the remaining issues.

रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर के अध्यक्ष पर हमला

1058. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पर उनके गोरखपुर स्थित कार्यालय में समाज विरोधी तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस घटना की जांच की गई है ;

(ग) क्या उस कार्यालय में कोई सुरक्षा प्रबंध नहीं था ; और

(घ) क्या इस हमले के बाद विभाग द्वारा अध्यक्ष और उनके परिवार को सुरक्षा देने के कोई प्रबंध किये गये थे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि 13-12-1991 को, लगभग 5-6 व्यक्ति गोरखपुर स्थित रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के चैम्बर में घुसे और उन पर हमला किया जिसके कारण उन्हें चोट लगी । तदनुसार, पुलिस स्टेशन छावनी, गोरखपुर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/452/332/504/506 के तहत दिनांक 13-12-1991 को एक मामला अपराध सं० 1307/91 दर्ज किया गया ।

(ख) दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की स्थानीय पुलिस अभी जांच कर रही है ।

(ग) रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि उस समय वहां पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी ।

(घ) दिनांक 13-12-1991 को उत्तर-पूर्वी रेलवे द्वारा मामला पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर के ध्यान में लाया गया और मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उसे दिनांक 29-12-1991 को महाप्रबंधक, उत्तर-पूर्वी रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के ध्यान में भी लाया गया । तदनुसार पुलिस स्टेशन छावनी, गोरखपुर को रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर के अध्यक्ष के निवास स्थान और कार्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं । इसके